

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता भैरुसिंह राजपुत निवासी छोटी खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री मनोहरसिंह पिता सोहनसिंह राजपुत निवासी छोटीखेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री रामसिंह पिता सोहनसिंह राजपुत निवासी छोटीखेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री खुमसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत निवासी छोटीखेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती पारस कुंवर पत्नी सोहनसिंह राजपुत निवासी छोटीखेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्रीमती ओसब कुंवर पत्नी भैरुसिंह राजपुत निवासी छोटीखेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 215 / 22 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2022 / 541

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा छोटीखेड़ी पटवार हल्का महुड़ा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	लगान
1.	ओसबकुंवर पत्नी भैरुसिंह 1/7 हि. रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पलाना खुर्द, लक्ष्मणसिंह पुत्र भैरुसिंह 6/7 हि. जाति राजपुत रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पलाना खुर्द	142 188 189 190 187/1	0.0486 0.3076 0.1295 0.1214 0.2103	0.10 0.07 0.26 0.06 0.04
	योग :-	किता-5	0.8174	0.52



2.	खुमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/2 हि. जाति राजपुत, पारसकुंवर पत्नी सोहनसिंह 1/6 हि. जाति राजपुत, मनोहरसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/6 हि. जाति राजपुत, रामसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/6 हि. जाति राजपुत	104	0.0324	0.00
		105	0.1295	0.06
		106	0.1214	0.02
		127	0.0728	0.15
		128	0.0647	0.13
		141	0.0809	0.16
		187/2	0.3158	0.10
योग :-	किता-7	0.8175	0.62	

नोट :-

1. विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा किस्म अंकित नही की गई है। अतः तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त डिक्री पालना करते समय किस्म जमाबंदी अनुसार अंकित की जावे।
2. उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मैरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **11.07.2025** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर